अस्वीकरणः क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय से आशय केवल पक्षकारों को उनकी अपनी भाषा में समझने के लिए है एवं इसका प्रयोग किसी अन्य उद्धेश्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक एवं कार्यालयीन उद्धेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण हीं प्रमाणित होगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्धेश्य के लिए प्रभावी माना जाएगा ।

रिपोर्ट योग्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील नंबर 1801 ऑफ 2013

हरियाणा सरकार **अपीलकर्ता**

बनाम

अंगूरी देवी और अन्य **प्रतिवादीगण**

निर्णय

इंदिरा बनर्जी. न्यायाधीश

1. अपील (हरियाणा राज्य के नेतृत्व में) एक फैसले और आदेश के खिलाफ है ,जो दिनांक 03.05.12 को चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा अच्च न्यायलय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित की गई थी, जिसमें अपील को स्वकृत किया गया (उत्तरदाताओं के नेतृत्व में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, झज्जर द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले को पलटा, जिसमें उत्तरदाताओं को भारतीय दंड सहिता की धारा 498 ए साथ पढ़े धारा 304 बी के तहत दोषी ठहराया गया) और उत्तरदाताओं को बरी कर दिया ।

2. पीड़िता बबली और उसकी बहन नीरू की शादी भाइयों , करतार रेस्पांडेंट नं. 3 और पवन के साथ हुई थी, जो अंगूरी देवी रेस्पोडेंट नंबर 1 और अखे राम रेस्पोंडेंट नंबर 2 के बेटे हैं । शादी के 3½ साल बाद, करतार सिंह रेस्पोंडेट नंबर 3 की पत्नी, की जलने की चोटों से मृत्यु हुई थी।

3. पीड़िता के पिता (यहॉ से शिकायतकर्ता के नाम से संदर्भित) ने एफ.आई.आर दर्ज कराई, जिसके अनुसार सत्र अपराध संख्या नं0 9 आफ 29.03.1996 शुरू किया गया । यह आरोप लगाया गया था कि लगभग 1¼ साल पहले जब उनकी बेटी बबली गर्भवती थी, तो उसके ससुराल वालों ने उसे घर छोड़ने को कहा और तभी वापिस आने को कहा, जब वह 60,000/- रूपये लेकर आये।

4. यह कथित तौर पर कहा गया है कि पीड़ित ने अपने माता–पिता को इस मांग के बारे में बताया और वह अपने माता–पिता के साथ रहने लगी। उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद वह अपने माता–पिता के साथ 5 से 6 महीने तक रही। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने आरोपी से पीड़ित को

वापस लेने का अनुरोध किया। यह बताया गया है कि पीड़िता लगभग 20 दिनों तक अपने ससुराल में रही, जिसके बाद उसे उसके वैवाहिक घर से निकाल दिया गया। उसकी सास (प्रतिवादी नं0 1) और ससुर (प्रतिवादी नं0 2) ने सोने की अंगूठी और एक चेन की मांग की । ऐसा कहा जाता है कि ग्राम पंचायत बुलाई गई थी जिसके बाद 29.10.1995 को बबली को उसके ससुराल भेज दिया गया था। 03.12.1995 को, शिकायतकर्ता को पीड़ित की मौत के बारे में पता चला। उसे पता चला कि पीड़िता को जला दिया गया था।

5. शिकायत के अनुसार , चूंकि पीड़िता की दहेज की मांग को लेकर उसके ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित करने और पिटाई के कारण मौत हो गई थी, इस मामले की सूचना सदर थाना बहादुरगढ़ को दी गई थी। जांच शुरू की गई और पीड़िता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत का कारण सदमा है ,जो पूरे शरीर पर मौत से पहले गहरे जलने के कारण हुई है।

6 अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों की जांच की। बचाव पक्ष की और से किसी भी गवाह की जांच नहीं की गई । आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षण में, प्रतिवादी नंबर 3, पीड़िता के पति, करतार सिंह ने गवाही में कहा कि प्रतिवादी नं0 1 और 2 , उसके माता–पिता होने के नाते अलग रहते थे।

7. शिकायतकर्ता, जिसने अभियोजन पक्ष के चौथे गवाह (पीडब्लू–4) के रूप में गवाही दी, ने कहा कि शादी के तुरंत बाद प्रतिवादी ने दहेज के लिए पीड़िता को परेशान करना शुरू कर दिया और उसकी बेटी को मारता था। पीड़िता को उस समय घर से बाहर निकाल दिया गया जब वह परिवारिक तरीके से रहती थी , क्योंकि वे उसे सोने के आभुषण, एक रेफ्रिजरेटर और 60,000/- रूप्ये नकद में लाने को कहते थे।

8. शिकायतकर्ता के अनुसार ,चूंकि वह नकदी और गहने देने का प्रबंध नहीं कर सका, इसलिए पीड़िता को बाहर निकाल दिया गया । जब पीड़िता अपने घर पर थी, तब उसने एक बच्ची को जन्म दिया । लगभग छह महीने बाद, एक पंचायत के हस्तक्षेप के माध्यम से, उसने पीड़िता को उसके वैवाहिक घर वापस भेज दिया। पंचायत के किसी भी सदस्य का परीक्षण नहीं किया गया ।

9. पीड़िता 15–20 दिनों तक वहां रही, जिसके बाद उसे आग लगा दी गई और आरोपी ने उसे मार डाला। शिकायकर्ता के अनुसार ,राकेश, अखे राम (प्रतिवादी नं0 3) का बड़ा भाई, उसके गॉव आया और पीड़ीता की मौत के बारे में बताया। इसके बाद, ग्रामीणों के साथ शिकायतकर्ता आरोपी के घर गया और पीड़ित को मृत पड़ा देखा।

10. शिकायकर्ता ने अपने साक्ष्य में दावा किया है कि उसकी छोटी बेटी, नीतू ने उसे बताया कि पीड़िता को आरोपी ने मार डाला है और बाद में उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। हालांकि, छोटी बेटी नीतू का अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण नहीं किया गया ।

11. पीड़िता के भाई सुभाष, अभियोजन पक्ष के पांचवे गवाह (पीडब्लू–5) के रूप में पेश हुए, जिसने लगभग वही दोहराया, जो उसके पिता (शिकायतकर्ता) ने कहा था।

12. जाहिर है, इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। प्रतिवादी नं0 3 ने, धारा 313 के तहत अपने बयान में कहा है कि उसके माता–पिता उसके साथ नहीं रहते थे और वह घटना हुई थी तब वह घर पर नहीं था।

13. उच्च न्यायालय ने पाया कि शिकायकर्ता ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उसे पहले दहेज की मांग का ज्ञान था । हाईकोर्ट ने सुनी सुनाई सबूतों के आधार पर सजा को बरकरार रखने से इनकार कर दिया क्योंकि सबूत देने के लिए प्राथमिक गवाह नीतू को कभी अदालत में पेश नहीं किया गया था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने अदालत में उनके साक्ष्य और पुलिस को दिये उनके बयान के बीच विसंगतियां पाई, जिसके साथ उनका सामना किया गया था।

14. उच्च न्यायालय ने प्रतिवादीयों के वकील द्वारा प्रस्तुत सबमिशन में मजबूत तथ्य पाया है कि यदि प्रतिवादीयों ने पीड़िता को वास्तव में परेशान किया था या दुर्व्यवहार किया था, तो उसकी बहन जिसने प्रतिवादी नं0 1 और 2 के बेटे से शादी करी(जो प्रतिवादी नं0 3 का भाई है) वह साक्ष्य देने से परहेज ना करती। अदालत का यह मत था कि वकील यह तर्क देने में कामयाब रहें कि अगर दहेज के लालच के कारण उत्पीड़ना होती, तो पीड़िता और उसकी बहन जिसकी शादी पीड़िता के देवर के साथ हुई, वह भी उत्पीड़ना का शिकार होती। पीड़िता की बहन नीतू पर उत्पीड़ना का कोई आरोप नहीं है।

15. सबूतों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने सबूतों को इतना मजबूत नहीं पाया कि प्रतिवादीयों को दोषी ठहराया जा सके। हम हाईकोर्ट से सहमत हैं कि सबूत कमजोर हैं और सजा के लिए पर्याप्त नहीं है।

16. यह सच है कि पीड़िता की जलने से मृत्यु हुई है। मृत्यु अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में और शादी के 7 साल के भीतर हुई थी। हालांकि , भारतीय दंड संहिता के 304 बी को आकर्षित करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि मृत्यु से पहले मृतक को दहेज की मांग के कारण क्रूरता और उत्पीड़ना का शिकार होना पड़ा। उच्च न्यायालय ने सही पाया कि सबूतों ने दहेज की मांग और उत्पीड़ना की क्रूरता के कार्य के बीच कोई निकट संबंध नहीं दिखाया। अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि पीड़िता को दहेज की मांग के संबंध में उसकी मृत्यु से पहले ही क्रूरता या उत्पीड़ना का शिकार बनाया गया था।

17. भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत, अभियोजन पक्ष यह साबित करने के अपने बोझ का निर्वहन करने से बच नहीं सकते कि उत्पीड़ना या क्रूरता मृत्यु से पहले दहेज की मांग से संबंधित थी। इस मामले में, उच्च न्यायालय को इस तथ्य से प्रभावित किया गया है कि शिकायतकर्ता के सबूत ,पीड़ित के पिता होने के नाते, दहेज की मांग का प्रत्यक्ष इशारा नहीं करते। निर्णय और आदेश जिसे इस अपील में चुनौती दी गई, उसके साथ हस्तक्षेप करना नहीं बनाता ।

18. तदनुसार , अपील खारिज की जाती है।

.....न्यायाधीश.
इंदिरा बनर्जी,

.....न्यायाधीश.
अजय रस्तोगी ,

नई दिल्ली

जून 13, 2019

××××××××

अस्वीकरणः क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय से आशय केवल पक्षकारों को उनकी अपनी भाषा में समझने के लिए है एवं इसका प्रयोग किसी अन्य उद्धेश्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक एवं कार्यालयीन उद्धेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण हीं प्रमाणित होगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्धेश्य के लिए प्रभावी माना जाएगा ।

Disclaimer:-The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the filed for the purpose of execution and implementation.

Translated by Shri Lekh Nath Gautam ,Translator and Typed by Neeraj Kumar Mishra. Senior Assistant.